न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –08/2018 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2018/00059

सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. फून्दीलाल आत्मज अमरलाल कहार निवासी कैथून

––अप्रार्थी.

राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत् ।

उपस्थित–

1.पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक –27 /02/2024

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा की खसरा नं0 2106 की रकबा 0.17 हे0 भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा फून्दीलाल आत्मज अमरलाल को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी जो अप्रार्थी आवंटी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज की गई । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी द्वारा कब्जा काश्त नहीं कर आवंटित भूमि पर मिट्टी खुदाई करने से तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया किया गया । अप्रार्थी आवंटी की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब मय काश्त करे की पुष्टि में खसरा गिरदावरी की नकल संलग्न की है जो पत्रावली संलग्न है । पेरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में शेष 50 प्रतिशत में काश्त की जानी चाहिए थी किन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर मिट्टी खुदाई का कार्य किया जाकर आवंटन शर्तो की अवहेलना की है जो खातेदारी की पात्रता नहीं रखने से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है । प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4. वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब एवं बहस में कथन किया है कि आवंटी आवंटित भूमि पर नियमितरूप से काश्त कर रहा है किन्तु आवंटित भूमि पर एक मिट्टी का टीला था जिसे खुदवाकर प्रार्थी ने जमीन लेवर कराकर काबिल काश्त बनाया है जो आवंटन शर्तो की अवहेलना नहीं है । वर्तमान में भी प्रार्थी की गेहूं की फसल कररखी है और इसके पहले चावल की फसल करी है । अलोटमेन्ट रूल 14(3) में भी बदलाव हो चुका है । इस प्रकार अप्रार्थी नियमितरूप से काश्त कर आवंटन शर्तो की पालना की है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

5. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । आवंटी को ग्राम कैथून तहसील की आराजी खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.17 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त नहीं करने तथा मिट्टी खुदाई करने के कारण यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आवंटी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया है । इसके विपरीत अप्रार्थी के वकील द्वारा नियमित काश्त करना बताया है तथा खेत में मिट्टी का टीला था जिसकी खुदाई करना बताया है तथा काश्त करने की पुष्टि में खसरा गिरदावरी संवत 2075–76 की प्रस्तुत है जिसमे चावल एवं गेहूं की सम्पूर्ण रकबे में बोना दर्ज है । इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

6. परिणामस्वरूप आवंटी अप्रार्थी को आवंटित भूमि ख0नं0 2106 रकबा 0.17 हे0, पर कब्जा काश्त करने की पुष्टि होने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन नियम 14(4) का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । आवंटी के हक में किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है ।

7. निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर
कोटा

जिला कलक्टर
कोटा